उत्तर प्रदेश शासन

धर्मार्थ कार्य विभाग

संख्या-6/2017/944/57-2017-7(3)/2015 टी0सी0-1

लखनऊः दिनांकः 18 सितम्बर, 2017

विज्ञप्ति/प्रकीर्ण

विषयः- श्री कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले उ0 प्र0 राज्य के मूल निवासियों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में।

उ0प्र0 राज्य के मूल निवासियों को श्री कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा हेतु रू0 1.00 लाख का अनुदान दिये जाने के संबंध में निर्गत् विज्ञप्ति/प्रकीर्ण संख्या-2/2017/195 /57-2017-7(3)/2015 टी0सी0-1, दिनांक 10 अप्रैल 2017 को यथा संशोधित करते हुये निम्नलिखित व्यवस्था प्रतिपादित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1- भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में शामिल होने वाले उ0प्र0 के मूल निवासियों, जो वर्तमान में भी प्रदेश में निवास कर रहे हों, को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रू0-1,00,000/- (एक लाख) की धनराशि, अनुदान स्वरूप दी जायेगी, जिसमें आवेदक द्वारा पासपोर्ट; यात्रा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2- अनुदान भारत सरकार द्वारा करायी जाने वाली यात्रा में सम्मिलित होने वाले यात्रियों के अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत स्रोतों से तथा प्राईवेट ट्रेवेल ऐजन्सी के माध्यम से यात्रा पूर्ण करने वाले यात्रियों को देय होगा।

3- जीवन काल में किसी यात्री को एक बार ही अनुदान दिया जायेगा।

4- अनुदान हेतु आवेदन आवेदक द्वारा यात्रा पूरी करने के उपरान्त 90 दिवस **(तीन माह के भीतर)** विभाग की वेबसाइट **www.updharmarthkarya.in** पर किया जाना होगा।

5- यात्रियों को दी जाने वाली सहायता राशि की सम्पूर्ण धनराशि महानिदेशक पर्यटन के निर्वतन पर रखी जायेगी। **(उक्त यात्रा का व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-84 के लेखाशीर्षक 2250-अन्य सामाजिक सेवायें-101 धर्मार्थ**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

प्रयोजनों के लिये दान-04 कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों का अनुदान-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) के मद के नामें डाला जायेगा)। धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा कर अनुदान हेतु पात्र यात्रियों की सूची महानिदेशक पर्यटन को उपलब्ध करायी जायेगी, तत्पश्चात महानिदेशक पर्यटन द्वारा आवेदक को अनुदान उनके बैंक खाते में सीधे स्थानान्तरित की जायेगी।

6- किसी यात्री की मृत्यु होने की दशा में पत्नी/पति या आश्रित के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

7- अनुदान हेतु आवेदन पत्र **www.updharmarthkarya.in** पर समस्त निर्देशों के साथ अपलोड है। आवेदक द्वारा यात्रा पूरी करने के उपरान्त 90 दिवस**(तीन माह के भीतर)** विभाग की इस वेबसाइट पर सुसंगत प्रमाण-पत्रों को स्कैन कर अपलोड करते हुये आवेदन किया जाना होगा।

अवनीश कुमार अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-6/2017/944/57-2017-7(3)/2015 टी0सी0-1 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त प्रमख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को इस आशय के साथ कि सरकारी गजट के साधारण अंक में तत्काल प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
4- महानिदेशक, पर्यटन उ0प्र0 लखनऊ।
5- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, इलाहाबाद, उ0प्र0।
6- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उ0प्र0, समस्तवरिष्ठकोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
9- निजी सचिव, मा0 मंत्री, धर्मार्थ कार्य, उ0प्र0, निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
10- सामान्य प्रशासन अनुभाग। विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
अशोक कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in